न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(शिवचरण मीना,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्याः– 108/2016
प्रविष्टि दिनांकः– 27–09–2016

1. भूरा पुत्र छीतर जाति गुर्जर निवासी अजीतपुरा तहसील मालपुरा, टोंक
2. रतना पुत्र छीतर जाति गुर्जर निवासी अजीतपुरा तहसील मालपुरा, टोंक
3. काना पुत्र छीतर जाति गुर्जर निवासी अजीतपुरा तहसील मालपुरा, टोंक
4. नन्दा पुत्र छीतर जाति गुर्जर निवासी अजीतपुरा तहसील मालपुरा, टोंक
5. झूंता पुत्र छीतर जाति गुर्जर निवासी अजीतपुरा तहसील मालपुरा, टोंक

.... अपीलाण्ट्

बनाम

तहसीलदार मालपुरा

.... रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार मालपुरा दिनांक 14.09.2016 मिसल संख्या 67/2016

उपस्थितः (1) श्री नंदलाल मीणा, अभिभाषक अपीलाण्ट
(2) श्री सहदेव, तहसीलदार मालपुरा (रेस्पोडेण्ट स्वंय)

<u>निर्णय</u> दिनांक 30.01.2023

संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार है कि तहसीलदार मालपुरा ने उनके आदेश दि0 14.09.2016 द्वारा ग्राम अजीतपुरा तहसील मालपुरा के खसरा नम्बर 7058 रकबा 1.04 बीघा भूमि चरागाह पर मक्का ज्वार की अनाधिकृत काश्त कर अपीलाण्ट द्वारा सम्वत 2073 में किये गये अतिकमण को पश्चातवर्ती अतिकमी मानकर उक्त आराजी से बेदखल करने व 90 दिवस के सिविल कारावास तथा पेनेल्टी कयम करने का निर्णय पारित किया है। इस निर्णय को विधि विधान एवं तथ्यों के विपरीत मानते हुए निरस्त किये जाने हेतु यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

प्रकरण मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस पर विधि अनुसार अपीलांटस की प्रोपर तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस को बिना सुने हुये साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान नहीं कर उक्त निर्णय पारित किया है। निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई है और ना ही स्वयं मौका देखा गया है। अपीलांटस का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। पटवारी द्वारा दुर्भावना पूर्वक अपीलांटस के विरूद्ध रिपोर्ट पेश की गई है जिसके आधार पर ही उक्त निर्णय पारित किया गया है जबकि मौके पर भूमि खाली पडी हुई हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस को पश्चातवर्ती अतिकमी मानकर निर्णय पारित किया है, जबकि अपने निर्णय में इस तथ्य का कोई हवाला नहीं दिया

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

गया है कि अपीलांटस को पूर्व में कब, कौनसी तारीख अथवा पत्रावली से उसे उक्त भूमि से भौतिक रूप से बेदखल किया गया। बिना किसी ठोस सबूत पेश के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड से दण्डित किया है। आर आर डी 2001 पेज 401 के अनुसार पूर्व में पारित बेदखली का निर्णय पटवारी के बयानों में प्रदर्शित नहीं हुआ है, जिससे आज्ञापक नियमों के खिलाफ जाकर निर्णय दिया गया है। अपीलांटस का उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नहीं है। उक्त भूमि वर्तमान में खाली पडी हुई है। अपीलांटस ने कब्जा छोडने बाबत शपथ पत्र/अन्डर टेंकिग अपील मीमो के साथ ही प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलाण्टस स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाकर अपीलांट को दोष मुक्त फरमाया जावे।

अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्टस विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर अतिक्रमण करना स्वीकार किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्टस ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व वर्ष संवत् 2072 में भी अतिक्रमण किया था तथा अतिक्रमी को भूमि से बेदखल कर दिया गया था। साक्ष्य के रूप में बेदखलनामा की प्रति व हल्का पटवारी के बयान शामिल पत्रावली हैं जिससे सिद्व होता है कि अतिक्रमी राजकीय चरागाह भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने के आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावें।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्टस एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्टस को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है। अपीलाण्टस की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलाण्टस अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुए है। अपीलान्टस द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय चारागाह भूमि खसरा नम्बर 7058 रकबा 1.04 बीघा वाके ग्राम अजीतपुरा की भूमि पर फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है। न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट मंगाये जाने पर मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 20.12.2019 हल्का पटवारी पचेवर पत्रावली में संलग्न हैं जिसमें अंकित किया था कि उक्त भूमि पर अपीलांटस का कब्जा था जो बाद में हटा लिया गया हैं। इस संबंध में पुनः तहसीलदार मालपुरा से भूमि की कब्जे संबंधी वर्तमान मौका स्थिति रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार मालपुरा द्वारा अपने पत्र कमांक 419 दिनांक 24.01.2023 से रिपोर्ट प्रेषित की हैं जिसमें अंकित किया हैं कि उक्त भूमि पर अपीलांट ने फसल काश्त कर कब्जा किया हुआ हैं। भूमि खसरा नम्बर 7058 रकबा 1.04 बीघा किस्म चारागाह सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की भूमि हैं। अपीलांट भूमि से कब्जा छोडना नहीं चाहता हैं एवं बार–बार अतिक्रमण करने का आदी हैं। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलाण्टस खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.09.2016 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवचरण मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक
अति.जिला कलेक्टर,टोक